न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- शक्तिपुत्र तोमर, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP 2188

CNR NO- UPJS01- 005258- 2022

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं- ५४०/ २२

श्रीमती किशोरी -------**आवेदिका**

बनाम

अविनाश आदि -------**विपक्षीगण**

दिनांक १३. ०३. २०२३

१. पत्रावली पेश हुयी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) द. प्र. सं. विपक्षीगण के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही अग्रसारित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

२. आवेदिका ने अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) द. प्र. सं. में कथन किया है कि आवेदिका के मकान के सामने उसकी पुश्तैनी जगह पूरब की ओर उत्तर की भुजा ९०फीट व पूरब पश्चिम दक्षिण की भुजा ११०फीट व उत्तर दक्षिण पूर्व की भुजा ५१फीट व उत्तर दक्षिण पश्चिम की भुजा ७१फीट है,जो मुहल्ला पटेल नगर गरौठा तहसील गरौठा जिला झांसी में स्थित है। आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी है। उक्त जगह की मालिक आवेदिका है। आवेदिका की उक्त जगह में से पूर्व की भुजा १८फीट,पश्चिम की भुजा २२फीट व उत्तर की भुजा २४ फीट व दक्षिण की भुजा २०फीट है,जिसका कुल क्षेत्रफल ४२ वर्गमीटर है,जिसकी चौहददी पूरब में आवेदिका का मकान,पश्चिम में रास्ता,उत्तर में रामाधीन यादव का मकान,दक्षिण में रामचरन आदि का मकान है। दिनांक १९. ४. २१ को अभियुक्तगण अविनाश ने अभियुक्त सं २ ग्यासी व अभियुक्त नं ३ परशुराम को तहसील गरौठा ले जाकर फर्जी कागजात तैयार कर आवेदिका की जगह की बैनामा की फर्जी लिखा पढी करा ली है। अभियुक्त नं १ अविनाश ने आवेदिका की जगह पर सरकारी आवास भी बनवा लिया है क्योकि वह नगर पंचायत गरौठा में कार्यरत है। अभियुक्त सं १ अविनाश ने आवेदिका के साथ धोखाधडी की है व बेईमानी की नियत से फर्जी बैनामा की लिखा पढी करा ली है। आवेदिका को अभियुक्त द्वारा कराये गये फर्जी बैनामा की जानकारी दिनांक २६. ६. २१ को हुयी तो आवेदिका ने अभियुक्त अविनाश से कहा कि तुमने हमारी जमीन की फर्जी लिखा पढी बैनामा करा ली है तो आवेदिका को मा बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और कहने लगा कि साली कोरी वाली कहीं कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगे। आवेदिका के साथ अनुसूचित जाति के शब्दो का प्रयोग किया है। आवेदिका थाने गयी किन्तु कोई कार्यवाही हुयी है। आवेदिका ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी। उक्त आधार पर आवेदिका की रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

३. थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

४. आवेदिका ने अपने कथनो के समर्थन में परगनाधिकारी गरौठा को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, हाउस टैक्स की रसीद की छायाप्रति,नकल नम्बर २०० वर्ष २०२१ लेखपत्र संख्या १९५५ वर्ष २०२१ की प्रमाणित छायाप्रति,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, मूल डाक रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

५. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया एवं थाने की आख्या तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

६. आवेदिका का कथन है कि उसके मकान के सामने उसकी पुश्तैनी जगह पूरब की ओर उत्तर की भुजा ९०फीट व पूरब पश्चिम दक्षिण की भुजा ११०फीट व उत्तर दक्षिण पूर्व की भुजा ५१फीट व उत्तर दक्षिण पश्चिम की भुजा ७१फीट है,जो मुहल्ला पटेल नगर गरौठा तहसील गरौठा जिला झांसी में स्थित है। उसके पति की मृत्यु हो

Digitally signed by SHAKTI PUTRA TOMAR
Date: 2023.03.13 16:16:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गयी है। उक्त जगह की मालिक वह है। उसकी उक्त जगह में से पूर्व की भुजा १८फीट,पश्चिम की भुजा २२फीट व उत्तर की भुजा २४ फीट व दक्षिण की भुजा २०फीट है,जिसका कुल क्षेत्रफल ४२ वर्गमीटर है,जिसकी चौहददी पूरब में उसका मकान,पश्चिम में रास्ता,उत्तर में रामाधीन यादव का मकान,दक्षिण में रामचरन आदि का मकान है। दिनांक १९. ४. २१ को अभियुक्तगण अविनाश ने अभियुक्त सं २ ग्यासी व अभियुक्त नं ३ परशुराम को तहसील गरौठा ले जाकर फर्जी कागजात तैयार कर उसकी जगह की बैनामा की फर्जी लिखा पढी करा ली है। अभियुक्त नं १ अविनाश ने उसकी जगह पर सरकारी आवास भी बनवा लिया है क्योकि वह नगर पंचायत गरौठा में कार्यरत है। अभियुक्त सं १ अविनाश ने उसके साथ धोखाधडी की है व बेईमानी की नियत से फर्जी बैनामा की लिखा पढी करा ली है। उसको अभियुक्त द्वारा कराये गये फर्जी बैनामा की जानकारी दिनांक २६. ६. २१ को हुयी तो उसने अभियुक्त अविनाश से कहा कि तुमने हमारी जमीन की फर्जी लिखा पढी बैनामा करा ली है तो उसको मा बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और कहने लगा कि साली कोरी वाली कहीं कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगे। उसके साथ अनुसूचित जाति के शब्दो का प्रयोग किया है। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना करायी जाये।

७. प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नकल नम्बर २०० वर्ष २०२१ लेखपत्र संख्या १९५५ वर्ष २०२१ की प्रमाणित छायाप्रति से स्पष्ट है कि इसमें पक्षकार ग्यासी व अविनाश है। इसी क्रम में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अन्तर्गत लोक अदालत शिविर मउरानीपुर दिनांक १९. १. १९८६ में भी पक्षकार लच्छीदेवी और कालका प्रसाद है। आवेदिका जिस तरह की जमीन की माप अपने प्रार्थनापत्र में बता रही है वह जमीन की माप किसी भी स्तर पर दस्तावेजों से स्पष्ट नही हो रही है। यह तथ्य थाने से प्राप्त आख्या में भी अंकित है कि जब दोनो पक्षकारों से भूमि के संबंध में कागाजात मांगे गये तो वे कागजात उपलब्ध नही करा सके। मामला मूलतः सिविल प्रकृति का है एवं वर्तमान प्रार्थनापत्र से पूर्व भी दरवाजा आदि निकालने को लेकर शिकायत आदि डालते रहे है। प्रस्तुत की गयी नगर पंचायत की रसीदों से भी स्थिति स्पष्ट नही हो रही है, जिनमें मकान नम्बर कहीं १०३४, कहीं १२२०, कहीं १३२५ पटेल नगर अंकित है। अतः प्रकरण जमीन से संबंधित ही अर्थात सिविल प्रकृति का ही प्रतीत हो रहा है। जिसे फौजदारी रंगत देने का प्रयास किया जाता प्रतीत होता है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नही है जिसकी पुलिस विवेचना कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) द. प्र. सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(शक्तिपुत्र तोमर)
विशेष न्यायाधीश एस. सी. एस. टी एक्ट
झांसी।